(23)

# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :–यू0डी0खान
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 26/2019

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू।

–– प्रार्थी

बनाम

नगर परिषद् झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनू।

–– अनावेदक

––

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं अ0धा0 232 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

––

उपस्थितः–

1. श्री श्रवण कुमार सैनी –राजकीय एडवोकेट– प्रार्थी की ओर से।
2. श्री नफीस अहमद – अभिभाषक अनावेदक की ओर से।

## आदेश

दिनांक 17.08.2020

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से हैः– कस्बा झुंझुनूं की सरहद मे स्थित भूमि खसरा न0 पुराना 1215 रकबा 2 बीघा 8 बिश्वा, खसरा न0 1216 रकबा 9 बीघा 17 बिश्वा, खसरा न0 1217 रकबा 2 बीघा 16 बिश्वा, खसरा न0 1216/1647 रकबा 1 बीघा 2 बिश्वा, खसरा न0 1218/1686 रकबा 3 बीघा 7 बिश्वा कुल किता 5 कुल रकबा 18 बीघा 15 बिश्वा पुख्ता वाके कस्बा झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं मे स्थित है, जो कि उक्त भूमि मूर्ति मन्दिर श्री कन्हैयालाल जी महाराज की माफी की भूमि है। मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2012 से 2015 व मिसल हैकियत 1999 मे भूमि खसरा नं0 1215 रकबा 2 बीघा 8 बिश्वा, खसरा नं0 1216 रकबा 9 बीघा 17 बिश्वा, खसरा नं0 1217 रकबा 2 बीघा 16 बिश्वा, खसरा नं0 1216/1647 रकबा 1 बीघा 2 बिश्वा, खसरा नं0 1218/1686 रकबा 3 बीघा 7 बिश्वा कुल किता 5 कुल रकबा 18 बीघा 15 बिश्वा पुख्ता की खातेदारी माफी मन्दिर श्री कन्हैयालालजी महाराज भूमि रही है। माफी मन्दिर की भूमि की खातेदारी हकूक व कब्जा किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नही हो सकता है। मूर्ति मन्दिर जो कि शाश्वत नाबालिग है उक्त भूमि की रक्षा करना लैण्ड होल्डर तहसीलदार

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

का दायित्व है इसलिए आवेदक तहसीलदार लैण्ड होल्डर द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जमाबन्दी संवत् 2012 से लगातार संवत् 2023 तक की जमाबन्दी मे उक्त अंकन अनुसार मूर्ति मंदिर के नाम चली आ रही है व मिसल हैकियत संवत् 1999 मे भी उक्त भूमि की खातेदारी मूर्ति मन्दिर श्री कन्हैयालाल जी महाराज के नाम चली आ रही है। जमाबन्दी संवत् 2024 से 2027 को भूमि की खातेदारी गलत तरीके से बिना नामान्तकरण के मन्दिर के पुजारी के नाम दर्ज कर दी गई और ईन्तकाल न0 46 के द्वारा मंदिर के पुजारी के स्थान पर उसके पुत्र मालीराम के नाम दर्ज कर दी गई जो जमाबन्दी संवत् 2024 से 2027 दर्ज रही है। खातेदार मालीराम की मृत्यु के बाद उक्त जमीन की खातेदारी उसकी पत्नी बनारसी देवी मालीराम दर्ज रिकार्ड हो गई। श्रीमती बनारसी देवी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि का नामान्तरकरण गलत तरीके से अपने आप को मालीराम का वारिस बताकर दर्ज करवा लिया गया। इस प्रकार उक्त भूमि का नामान्तकरण के द्वारा खातेदारी दर्ज होने पर खातेदारों द्वारा निरन्तर विक्रय करके अपने नाम दर्ज करवाते रहे है और अनावेदक नगर परिषद झुंझुनूं से रूपान्तरण की कार्यवाही कर पट्टे जारी करवा दिये गये जो अवैध है। मूर्ति मन्दिर की भूमि की खातेदारी गलत तरीके से बिना नामान्तरकरण के किसी व्यक्ति की खातेदारी मे दर्ज कर दी गई जो पलटने योग्य है। ऐसा नामान्तकरण स्वीकार करने तथा ऐसा रिकार्ड तैयार करने का किसी कभी व्यक्ति को कोई कानूनी अधिकार नही है। उक्त भूमि हमेशा से मूर्ति मन्दिर श्री कन्हैयालालजी महाराज के नाम से रही है। ग्रामवासियों की उक्त भूमि मे काफी आस्था रही है वे समय–समय पर मन्दिर मे आते रहते है। मन्दिर मे काफी पुराना मेला भरता था जिससे काफी संख्या मे लोग दूर–दूर से आते–जाते रहते है। इसलिए कस्बे/ग्रामवासियों की उक्त मन्दिर मे आस्था रही है। जिसका उपयोग आमतौर पर जनसाधारण के काम मे आता रहा है। उक्त भूमि की खातेदारी किसी निजी व्यक्ति को दिया जाना कानूनी गलत है। उक्त प्रकार के किये गये अन्तरण राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 से प्रतिबन्धित किये गये है। उक्त भूमियों के बारे मे किये गये समस्त प्रकार के आवेदन/नियमन/अन्तरण नामान्तरकरण तथा समस्त प्रकार की आजतक की गई रद्दोबदल प्रारम्भ से ही शून्य है। सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे मे दिया जाना उचित नही है। इस प्रकार की भूमियों की सुरक्षा करना लैण्ड होल्डर तहसीलदार का दायित्व है। मूर्ति मन्दिर की भूमि मे किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी खातेदारी हकूक प्राप्त नही होते है। इसलिए अनावेदक को उक्त भूमि मे कोई खातेदारी हकूक अधिकार प्राप्त नही हुए है और उक्त गलत राजस्व रिकार्ड काबिले दुरूस्ति है। अतः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल भूमि खसरा नं0 2525/3951, 2620, 2927, 2528, 2529, 2530, 2531, 2510, 2511, 2619, 2619/4000, 2526 कुल किता 13 कुल रकबा 3.5000 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन आबादी वाके ग्राम झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं की खातेदारी अनोवदक के खाते से हटाया जाकर पुनः मूर्ति मन्दिर श्री कन्हैयालालजी महाराज के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ( प्रार्थी ) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि कस्बा झुंझुनूं की सरहद मे स्थित भूमि खसरा न0 पुराना 1215 रकबा 2 बीघा 8 बिश्वा, खसरा न0 1216 रकबा 9 बीघा 17 बिश्वा, खसरा न0 1217 रकबा 2 बीघा 16 बिश्वा, खसरा न0 1216/1647 रकबा 1 बीघा 2 बिश्वा, खसरा न0 1218/1686 रकबा 3 बीघा 7 बिश्वा कुल किता 5 कुल रकबा 18 बीघा 15 बिश्वा

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

जिसके हाल भूमि खसरा नं0 2525/3951, 2620, 2927, 2528, 2529, 2530, 2531, 2510, 2511, 2619, 2619/4000, 2526 कुल किता 13 कुल रकबा 3.5000 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन आबादी है जो कि उक्त भूमि मूर्ति मन्दिर श्री कन्हैयालाल जी महाराज की माफी की भूमि है। मूर्ति मन्दिर जो कि शाश्वत नाबालिग है उक्त भूमि की रक्षा करना लैण्ड होल्डर तहसीलदार का दायित्व है। अनावेदक नगर परिषद झुंझुनूं से रूपान्तरण की कार्यवाही कर पट्टे जारी करवा दिये गये जो अवैघ है। मूर्ति मन्दिर की भूमि की खातेदारी गलत तरीके से बिना नामान्तरकरण के किसी व्यक्ति की खातेदारी मे दर्ज कर दी गई जो पलटने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रा0प0 स्वीकार किया जाकर अनोवदक के खाते से हटाया जाकर पुनः मूर्ति मन्दिर श्री कन्हैयालालजी महाराज के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया जावे।

वकील अनावेदक ने बहस के दौरान राजकीय वकील के तर्को का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि की खातेदारी मालीराम के नाम से थी बाद मे उक्त भूमि का नामान्तरकरण उसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण होने एवं खातेदारों द्वारा भूमि की 90 बी की कार्यवाही के लिए आवेदन कर भूमि को नगर परिषद् के हक मे सरेण्डर किया है। प्रकरण मे मालीराम के वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है। ऐसी स्थिति मे नगर परिषद् द्वारा जारी किये गये पट्टे नियमानुसार सही है। प्रार्थी को नगर परिषद् के विरूद्व रेफरेन्स पेश करने का कोई हक नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्र विधिवत नही होने से खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। विवादित भूमि खसरा नं0 2525/3951, 2620, 2927, 2528, 2529, 2530, 2531, 2510, 2511, 2619, 2619/4000, 2526 कुल किता 13 कुल रकबा 3.5000 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन आबादी वाके ग्राम झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं के संबंध मे प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र मे स्व0 मालीराम के वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है। अतः **प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार झुंझुनूं को यह निर्देश दिये जाते है कि विवादित भूमि के कम मे स्वर्गीय मालीराम के वारिसान को पक्षकार बनाते हुए नये सिरे से जांच करके रेफरेन्स लायक प्रकरण होने पर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें साथ ही आयुक्त नगर परिषद् को आदेश दिये जाते है कि अग्रिम आदेशों तक विवादित भूमि के कमक मे कोई पट्टा जारी नही करे।** आदेश की प्रति तहसीलदार झुंझुनूं एवं आयुक्त नगर परिषद् झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( यू0डी0खान )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं